(155)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0रिविजन वाद सं0– 14/2006–07

बरसन पाल एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

सर्वेश्वर पाल ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

01/03/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 14/06–07 बरसन पाल एवं अन्य बनाम सर्वेश्वर पाल, मौजा काठीकुंड, अंचल काठीकुंड के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 268/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2002 एवं रे0मि0 वाद सं0 70/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2003 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा छोटा काठीकुंड के दाग सं0 62 कुल रकवा 05 बीघा 07 कठ्ठा 02 धूर गत सर्वे सेटेलमेंट में परती कदीम बोलकर दर्ज है। उक्त दाग में आवेदक के पिता को 02(दो) बीघा जमींन प्रधान द्वारा दिनांक 05.02.1949 में पट्टा बन्दोबस्ती मिली है। उसी प्रकार नकुल पाल को भी 01–10–00 धूर जमींन की प्रधानी द्वारा पट्टा बन्दोबस्ती मिली है। उक्त जमींन को वे खंडित कर जोत आबाद कर रहा है एवं लगान का भुगतान किया जा रहा है, किन्तु विपक्षी द्वारा फर्जी एवं जाली तथा विगत तिथि (Antidated) पट्टा के आधार पर उक्त जमींन का सीमांकन करा लिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि उनके साथ रे0मि0 वाद सं0 268/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2002 द्वारा मात्र 10 (दस) कठ्ठा जमींन का सम्पुष्टि किया गया है एवं शेष जमींन 01.59 एकड़ को मौजा के आदिवासियों के साथ बन्दोबस्त करने का आदेश पारित किया गया है। बाद में पुनः उनके द्वारा रे0मि0 वाद सं0 70/2003–04 पुनः उसी जमींन का पट्टा सम्पुष्टि हेतु आवेदन दाखिल किया गया एवं आदेश दिनांक 15.12.2003 द्वारा 05–07–02 धूर जमींन का पट्टा सम्पुष्टि किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग जमींन पुरातन पतित है। वर्त्तमान सर्वे में नया जमाबन्दी खुला है। उन्हें पर्चा निर्गत हो चुका है। जब प्रश्नगत जमींन उनके साथ बन्दोबस्त किया जा चुका है तो पुनः अन्य के साथ बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता है।

अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण को प्रधान द्वारा मिली बन्दोबस्ती पट्टा दिनांक 05.02.1949 को एवं दिनांक 25.05.1949 तथा विपक्षी को दिनांक 12.12.1950 को प्रधान द्वारा निर्गत पट्टा के आधार पर दखल है। अभिलेख में उपलब्ध पट्टा की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह पट्टा प्रपत्र में है एवं पट्टा में शिउड्ल II एवं फोरम नं0 03 अंकित है। सं0प0 कास्तकारी रूल्स 1950 के अनुसार इस प्रपत्र को राजस्व विभाग द्वारा 23 जनवरी 1951 को अधिसूचना जारी की गई है। किन्तु उभय पक्षों का पट्टा 23 जनवरी 1950 के पूर्व का है तथा उस समय इस पट्टा पर जमींन की बन्दोबस्ती नहीं दी जाती थी बल्कि अमलनामा बनाकर जमींन की बन्दोबस्ती धारा 27 के अन्तर्गत प्रधान द्वारा दी जाती थी। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा जिस पट्टा के आधार पर अपना–अपना दावा करते है वह अपने आप में संदेहात्मक प्रतीत होता है। इसे मान्यता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेष को विलोपित किया जाता है तथा उभय पक्षों को निर्गत बन्दोबस्ती पट्टा को भी रद्द किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेष दिया जाता है कि इस जमींन की बन्दोबस्ती सं0प0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 27 एवं 28 के अन्तर्गत की जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।